

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>रामजी वगेरह बनाम लक्ष्मण वगेरह हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज आदेश - 188, 92 R.T. Act. मुं० 47/2016 वा०</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए</p>
--------------------	--	--

13-10-17 पत्रावली पेश हुई। पिछली अधिकांश
पं. सं. खेखवाड़ा पर आगे की
आशा लक्ष्मण की चपत होत बैंक
में व्यस्त होने से पत्रावली दिनांक
22-11-17 को पेश हो।
रीडर

22-11-17 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में वादी
पक्ष की अधिवक्ता अनुपस्थित है
पत्रावली में वादी पक्ष की अधिवक्ता
को लीग बार आवाज लगायी गई।
फिर भी उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली
में वादी लम्बे समय से अनुपस्थित
है। पत्रावली में कोर्ट 9 दिनांक 3 को
वस्तु अधिनियम हाजरी अधिनियम पेश की
वादी खारीज किया जाता है। निर्णय
सुलत न्यायालय में सुनाया गया।
पत्रावली फ़ैसल शुमार हो। दर्ज नम्बर
से काम होकर दायरिल दफतर हो।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
खेखवाड़ा, जि. उदयपुर (राज.)